प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6598/2008</u>

याचिकाकर्ता : श्रीमती उमेश्वरी बाई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विचारार्थ हेतु आदेश

सही /-

न्यायाधीश

18-02-2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आर. एन. चंद्राकार, न्यायधीश मैं सहमत हूँ ।

सही /-

आर. एन. चंद्राकार,

न्यायधीश

19 फरवरी, 2010 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

श्री धीरेन्द्र मिश्रा,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6598/2008

याचिकाकर्ता : श्रीमती उमेश्वरी बाई, पति देवशंकर, उम्र 26 वर्ष, सरपंच, ग्राम पंचायत - गढ़ाकाटा, तहसील - कुनकुरी, जिला - जशपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा संयुक्त सचिव, नगरीय, प्रशासन एवं विकास, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त सह सहायक सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. अनुविभागीय अधिकारी, कुनकुरी, तहसील कुनकुरी, जिला - जशपुर (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुनकुरी, तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)
5. कलेक्टर, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री जे.एस. बड़ाईक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता के साथ श्री एस.के. मिश्रा, राज्य/उत्तरदातागण के पैनल अधिवक्ता।

युगलपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायधीश।

आदेश

(19 फ़रवरी, 2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा** द्वारा पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका द्वारा राजपत्र में दिनांक 3 सितंबर, 2008 (अनुलग्नक-पी/2) में प्रकाशित अधिसूचना को निष्प्रभावी घोषित करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत नगर पंचायत कुनकुरी, वर्तमान राजस्व ग्राम गढ़ाकाटा और ग्राम पंचायत कुनकुरी को मिलाकर जिला जशपुर का गठन किया गया है और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 126 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जशपुर द्वारा दिनांक 29-09-2008 (अनुलग्नक-पी/1) जारी कर नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के कारण ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को जिसमे ग्राम गढ़ाकाटा शामिल हैं को विघटित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा की निर्वाचित सरपंच हैं। कलेक्टर ने दिनांक 29-09-2008 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1) के तहत ग्राम पंचायत कुनकुरी और गढ़ाकाटा को इस आधार पर विघटित कर दिया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिनांक 3 सितंबर, 2008 की अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायत कुनकुरी और ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को मिलाकर नगर पंचायत कुनकुरी का गठन किया गया है। इस आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को भी भेजी गई।

3. आयुक्त सह सह-सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-09-2008 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता को ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') की धारा 7

(अनुलग्नक-पी/4) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कलेक्टर से अधिनियम की धारा 126 (2) के अंतर्गत विघटन की कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।

4. याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने 2 अक्टूबर, 2008 को उपखंड अधिकारी कुनकुरी के माध्यम से कलेक्टर को अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक-पी/5) प्रस्तुत किया और ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को विस्थापित न करने का अनुरोध किया, क्योंकि गढ़ाकाटा गाँव ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित नहीं हुआ था। कार्यवाही रजिस्टर के निरीक्षण पर पंचायत में, याचिकाकर्ता ने पाया कि पंचायत सचिव ने उत्तरदाता क्रमांक 4, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुनकुरी के अनुचित दबाव और निर्देश में, दिनांक 03-07-2008 की कार्यवाही में कंडिका -11 के रूप में एक झूठी प्रविष्टि गढ़ी कि ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को नगर पंचायत कुनकुरी के क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता और ग्रामीणों द्वारा इस झूठी प्रविष्टि के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अनुलग्नक-पी/6 के तहत एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उनके अभ्यावेदन को अनुलग्नक-पी/7 के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर, जशपुर को भेज दिया। कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 125 के तहत दिनांक 30-09-2008 (अनुलग्नक-पी/8) को एक नोटिस जारी किया और विस्थापित ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा के लोटापानी गाँव को ग्राम पंचायत खारिझारिया के क्षेत्र में मिलाने का प्रस्ताव रखा और आपत्तियाँ आमंत्रित की।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने 1961 के अधिनियम की धारा 5(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 जुलाई, 2008 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नगर पंचायत कुनकुरी के गठन का आशय व्यक्त किया गया। प्रस्तावित नगर पंचायत कुनकुरी की सीमाओं को वर्तमान राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायत कुनकुरी के रूप में दर्शाया गया था। उक्त आशय के विरुद्ध संबंधित व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारी से प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं। अधिसूचना के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत गड़ाकाटा और उसके आश्रित ग्रामों को मिलाने का कोई आशय व्यक्त नहीं किया गया था। हालाँकि, राजपत्र में

प्रकाशित अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना के अनुसार, नगर पंचायत कुनकुरी का गठन बिना किसी सार्वजनिक सूचना के ग्राम पंचायत कुनकुरी और राजस्व ग्राम गढ़ाकाटा की सीमाओं को मिलाकर किया गया था।

7. 1961 के अधिनियम की धारा 5 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि ग्राम गढ़ाकाटा नगरीय क्षेत्र में संक्रमणकालीन ग्राम नहीं है और राज्यपाल ने 1961 के अधिनियम की धारा 5(2) और संविधान के अनुच्छेद 243क्यू(2) के तहत अपेक्षित राजपत्र में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा गढ़ाकाटा को संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित नहीं किया है। अनुलग्नक-पी/9 दिनांक 05-07-2008 की अधिसूचना के माध्यम से, ग्राम पंचायत कुनकुरी के स्थान पर नगर पंचायत कुनकुरी के गठन का आशय व्यक्त किया गया था। नगर पंचायत कुनकुरी की सीमाएँ वर्तमान राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायत कुनकुरी की सीमाएँ प्रस्तावित थीं। तथापि, अनुलग्नक-पी/2 के अनुसार ग्राम कुनकुरी और गढ़ाकाटा को नगर पंचायत कुनकुरी की सीमा में शामिल करते हुए नगर पंचायत कुनकुरी का गठन करते समय, न तो ग्रामीणों को कोई नोटिस जारी किया गया और न ही उसे सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया गया। इस प्रकार, ग्राम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गढ़ाकाटा को शामिल करते हुए नगर पंचायत कुनकुरी का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क्यू और 1961 के अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है। कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 126(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को विघटित करने हेतु पारित अनुलग्नक-पी/1 का आदेश भी अवैध है, क्योंकि उपरोक्त आदेश अधिनियम की धारा 126(1) के अंतर्गत अपेक्षित कोई नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया है।

8. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने ग्राम गढ़ाकाटा को नगर पंचायत कुनकुरी की सीमा में शामिल करते हुए नगर पंचायत कुनकुरी के गठन पर आपत्ति जताई है। हालाँकि, याचिका में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता या ग्राम गढ़ाकाटा के निवासी उपरोक्त कार्यवाही से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को अनुलग्नक-आर/1 के अनुसार ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा के संकल्प के अनुसार शामिल किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) ने अपने ज्ञापन दिनांक 05-04-2008 (अनुलग्नक-आर/3) के माध्यम से अनुलग्नक-आर/2 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रमणीय क्षेत्र हेतु निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा के संकल्प के साथ नगर पंचायत कुनकुरी के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना जारी की गई। चूँकि अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए नगर पंचायत कुनकुरी के गठन हेतु अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना जारी की गई।

9. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

10. निस्संदेह, नगर पंचायत कुनकुरी के गठन की कार्यवाही शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत कुनकुरी और ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा दो अलग- अलग पंचायतें थीं जिनके

6

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अलग-अलग निर्वाचित पदाधिकारी थे। याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा का सरपंच था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने कलेक्टर, जशपुर को संबोधित अपने ज्ञापन दिनांक 5 अप्रैल, 2008 के माध्यम से, कलेक्टर के 4 अप्रैल, 2008 के ज्ञापन के संदर्भ में, ग्राम पंचायत कुनकुरी और गढ़ाकाटा को मिलाकर नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उपरोक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा का संकल्प भी संलग्न किया। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 2008 (अनुलग्नक-पी/9) के माध्यम से ग्राम पंचायत कुनकुरी के स्थान पर नगर पंचायत कुनकुरी का गठन करने की अपनी मंशा व्यक्त की, जिसमें कुनकुरी गाँव को प्रस्तावित नगर पंचायत की सीमा माना गया और आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं।

11. अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना में, ग्राम गढ़ाकाटा को नगर पंचायत कुनकुरी की प्रस्तावित सीमाओं में शामिल नहीं किया गया था। तत्पश्चात, अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना दिनांक 3 सितंबर, 2008 जारी की गई, जिसके अंतर्गत ग्राम कुनकुरी और गढ़ाकाटा को इसकी सीमाओं में शामिल करके नगर पंचायत कुनकुरी का गठन किया गया। उक्त अधिसूचना द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया कि वर्तमान निर्वाचित ग्राम पंचायत कुनकुरी, 1961 के अधिनियम के

प्रयोजनों हेतु, नव निर्वाचित नगर पंचायत कुनकुरी के गठन तक नगर पंचायत के रूप में कार्य करती रहेगी। कलेक्टर, जशपुर ने दिनांक 29-09-2008 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 126(2) के अंतर्गत शक्तियों के कथित प्रयोग में नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के कारण ग्राम पंचायत कुनकुरी और ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को विघटित कर दिया।

12. संविधान का भाग IXA, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है, दिनांक 08-09-2000 से तिरासीवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 243-Q नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243-Q (2) इस प्रकार है:-

> "इस अनुच्छेद में, 'संक्रमण क्षेत्र', 'लघु नगरीय क्षेत्र' या 'वृहत्तर नगरीय क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए अर्जित राजस्व, गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वह उचित समझे, इस भाग के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. 1961 के अधिनियम की धारा 5 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो इस प्रकार है- "(1) निम्नलिखित का गठन किया जाएगा,-

(क) किसी छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद; और

(ख) किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत:

परंतु, यथास्थिति, किसी नगर परिषद या नगर पंचायत का गठन ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके किसी भाग में नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों के समूह द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वह उचित समझे, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगर- क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करे।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि जब किसी क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली ग्राम पंचायत तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के तहत विधिवत निर्वाचित नगर पंचायत का गठन नहीं हो जाता।

8

(2) इस धारा में, 'एक छोटा शहरी क्षेत्र' या 'संक्रमणकालीन क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए अर्जित राजस्व, गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।

14. संविधान के उपरोक्त प्रावधानों और 1961 के अधिनियम को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किया जा सकता है। अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना द्वारा, ग्राम पंचायत कुनकुरी को उसकी सीमा मानकर नगर पंचायत कुनकुरी के गठन का आशय अधिसूचित किया गया था और स्थानीय निकायों और सभी संबंधितों से उस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। उक्त अधिसूचना में, गढ़ाकाटा को नगर पंचायत कुनकुरी की सीमा में शामिल नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जवाबदावा के कंडिका 10 और 11 में उत्तरदातागण/राज्य का यह कथन कि आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना अनुलग्नक-आर/3 के अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव के अनुसार जारी की गई थी, अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना से पुष्ट नहीं होता है क्योंकि ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा प्रस्तावित नगर पंचायत कुनकुरी की सीमा में शामिल नहीं है।

16. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि अनुलग्नक-आर/1 का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से कार्यवाही पुस्तिका में प्रक्षेपित किया गया था और ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा की ग्राम सभा में ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा और उसके आश्रित ग्राम गढ़ाकाटा रामाडांड और लोटापानी को

नगर पंचायत कुनकुरी में शामिल करने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। इसके अलावा,

9

चूँकि अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना में प्रस्तावित नगर पंचायत कुनकुरी में ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा या उसके आश्रित ग्रामों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा या उसके निवासियों द्वारा नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

17. अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा ग्राम कुनकुरी और गढ़ाकाटा को अपनी सीमाओं में शामिल करके नगर पंचायत कुनकुरी का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में आगे यह भी प्रावधान है कि कुनकुरी में निर्वाचित ग्राम पंचायत, नव निर्वाचित नगर पंचायत कुनकुरी के गठन तक नगर पंचायत के रूप में कार्य करती रहेगी। अनुलग्नक-पी/9 की अधिसूचना के अनुसार, कुनकुरी गाँव सहित नगर पंचायत कुनकुरी को शामिल करने का प्रस्ताव था और आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं थी। हालाँकि, नगर पंचायत कुनकुरी का गठन करने और अनुलग्नक-पी/2 के अनुसार गढ़ाकाटा गाँव को उसकी सीमा में शामिल करने से पहले, अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 243-क्यू (2) या धारा 5 (2) के तहत गढ़ाकाटा को संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना जारी करके यह भी अधिसूचित किया गया कि निर्वाचित ग्राम पंचायत कुनकुरी, नगर पंचायत कुनकुरी के गठन तक नगर पंचायत कुनकुरी के कार्यों का निर्वहन करेगी। इस प्रकार, अनुलग्नक-पी/9 और अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में नगर पंचायत कुनकुरी के गठन का प्रस्ताव था और उसके बाद इसका गठन किया गया और ग्राम पंचायत गड़ाकटा की सीमाओं के भीतर आने वाले ग्राम गड़ाकटा को ग्राम पंचायत गड़ाकटा से बाहर कर अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत कुनकुरी में शामिल कर लिया गया।

19. किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में शामिल करने या बाहर करने से पहले, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह ऐसा करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करे और अधिनियम 1961 की धारा 5-ए के तहत उक्त क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या वहां के निवासी किसी व्यक्ति की आपत्तियों पर विचार करे। धारा 5 या धारा 5-ए के तहत प्रत्येक अधिसूचना सरकारी राजपत्र में और उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले कम से कम एक हिंदी समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जानी है जिससे वह संबंधित है। ऐसी अधिसूचना की एक प्रति कलेक्टर, नगरपालिका और अधिसूचना से प्रभावित क्षेत्र के कार्यालय में, अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार प्रकाशित की जानी है।

20. वर्तमान मामले में, हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू(2) के साथ पठित 1961 के अधिनियम की धारा 5(2) का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, क्योंकि गढ़काटा को संक्रमणकालीन क्षेत्र घोषित करने हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। 1961 के अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत अपेक्षित अधिसूचना के बिना ही, अनुलग्नक-पी/2 की अधिसूचना द्वारा गढ़काटा गाँव को नगर पंचायत कुनकुरी की सीमा में शामिल कर लिया गया था। अधिनियम की धारा 126 में प्रावधान है कि राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा गाँव को विस्थापित कर सकते हैं, हालाँकि, गाँव को विस्थापित करने का ऐसा कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्ति आमंत्रित करने वाले प्रस्ताव की सूचना निर्धारित तरीके से प्रकाशित न कर दी जाए और आपत्तियाँ प्राप्त न हो जाएँ और उन पर विचार न कर लिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 126(2) के अंतर्गत अनुलग्नक-पी/1 का आदेश पारित किया गया था और नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के कारण ग्राम

गढ़ाकाटा को विस्थापित किया गया था। हालाँकि, आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि धारा 126(1) के अंतर्गत अपेक्षित कोई सूचना, जिससे प्रभावित होने की संभावना हो, से आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए जारी नहीं की गई थी।

22. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, हमारा मत है कि अनुलग्नक-पी/2 के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 3 सितंबर, 2008 द्वारा नगर पंचायत कुनकुरी का गठन, जिसमें ग्राम गढ़ाकाटा को उसकी सीमाओं में शामिल किया गया है, अवैध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू (2) के संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। इसी प्रकार, कलेक्टर, जशपुर द्वारा पारित अनुलग्नक-पी/1 का आदेश, जिसमें नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के कारण ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को विस्थापित किया गया था, भी कायम नहीं रखा जा सकता।

23. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और कलेक्टर, जशपुर द्वारा पारित अनुलग्नक-पी/1 के आदेश, जिसमें नगर पंचायत कुनकुरी के गठन के कारण ग्राम पंचायत गढ़ाकाटा को विघटित किया गया था, और अनुलग्नक-पी/2 के दिनांक 3 सितंबर, 2008 के राजपत्र अधिसूचना, जिसमें राजस्व ग्राम गढ़ाकाटा और ग्राम पंचायत कुनकुरी को उसकी सीमा मानते हुए नगर पंचायत कुनकुरी का गठन किया गया था, को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
श्री आर.एन. चंद्राकर,
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी। Translated By Durga Mehar**